

खाद्य न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, भरतपुर
(पीठासीन अधिकारी: घनश्याम शर्मा, आर०ए०एस०)

प्रकरण संख्या : 01/2026 प्रार्थना पत्र (खा.सु.अ.)

चेतनलाल यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य
अधिकारी, भरतपुर।

आवेदक

बनाम

रामस्वरूप सिंह (मालिक/विक्रेता) पुत्र गोर्धन मैसर्स रामस्वरूप सिंह मंडी अटलबंध
भरतपुर निवासी ग्राम दारापुर कलां पोस्ट अघापुर पंचायत समिति सेवर भरतपुर।

गैरसायल

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 26(2)(ii) एफएसएस एक्ट 2006 रूल्स 2011

उपस्थित :

1. प्रार्थी स्वयं
2. गैरसायल स्वयं

निर्णय

दिनांक : 27.03.2026

आवेदक द्वारा यह प्रार्थना पत्र अंतर्गत 26(2)(ii) एफएसएस एक्ट 2006
रूल्स 2011 के अन्तर्गत विरुद्ध गैरसायल दिनांक 03.02.2026 को प्रस्तुत किया गया
है। गैरसायल को जरिये नोटिस तलब किया गया। नियत दिनांक 19.02.2026 को
गैरसायल उपस्थित। इस्तगासा की नकल देते हुये गैरसायल को इस्तगासा में अंकित
आरोप सुनाया गया कि दिनांक 17.10.2025 को दोपहर 2.30 बजे गैरसायल की दुकान
मैसर्स रामस्वरूप सिंह मंडी अटलबंध भरतपुर का निरीक्षण किया गया। दौराने निरीक्षण
/जांच गैरसायल की उक्त दुकान पर आम जनता के इस्तेमाल के लिये विक्रय हेतु
दुकान में रखे हुए लोहे के पीपे में लगभग 14 किग्रा रसभरी मिठाई (चीनी, दूध व
अरारोट से निर्मित) रखी हुई पाई गई। जिनमें मिलावट का संदेह होने पर नियमानुसार
मौके पर नमूना लिया गया। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत
नियमानुसार कार्यवाही अमल में लायी गई। खाद्य विश्लेषक भरतपुर की जांच रिपोर्ट
एलएस/1198/एक्ट/2025/1918 दिनांक 31.10.2025 द्वारा उक्त रसभरी मिठाई
(चीनी, दूध व अरारोट से निर्मित) का नमूना अवमानक खाद्य पदार्थ (Substandard
Food) प्रकृति का पाया गया है। गैरसायल द्वारा अवमानक खाद्य पदार्थ
(Substandard Food) प्रकृति का रसभरी मिठाई (चीनी, दूध व अरारोट से निर्मित)
विक्रय करके एफएसएसए 2006 की धारा 26(2)(ii)का उल्लंघन किया गया है।

१७
अतिरिक्त जिला कलक्टर
भरतपुर (राज.)

आरोपों को सुन व समझकर गैरसायल ने मौखिक कथन किया है कि
भरतपुर जिला न्यायाधीश द्वारा गैरसायल की फर्म मैसर्स रामस्वरूप सिंह मंडी अटलबंध
भरतपुर से रसमरी मिठाई (चीनी, दूध व अरारोट से निर्मित) की जांच हेतु नमूना लिया
गया है। जांच खाद्य विश्लेषण भरतपुर की जांच रिपोर्ट में अवमानक खाद्य पदार्थ
(Substandard Food) प्रकृति का पाया गया है। रसमरी मिठाई (चीनी, दूध व
अरारोट से निर्मित) की जांच रिपोर्ट में हानिकारक माना जाकर अवमानक स्तर का पाया
गया है। गैरसायल द्वारा यह त्रुटि सहवन से होने के कारण आरोप को स्वीकार करता
है। गैरसायल की यह प्रथम गलती है, जिसके लिये गैरसायल भविष्य में सावधानी पूर्वक
देखभाल करके ही कोई प्रोडक्ट का विक्रय करेगा। इसलिये गैरसायल के प्रति नरम
रुख अपनाते हुये कार्यवाही की जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। गैरसायल के कथनों पर मनन
किया गया। दिनांक 17.10.2025 को दोपहर 2.30 बजे गैरसायल की दुकान मैसर्स
रामस्वरूप सिंह मंडी अटलबंध भरतपुर दौराने निरीक्षण/जांच गैरसायल की फर्म पर
आम जनता के विक्रय दुकान में दुकान में रखी हुई एल्यूमिनियम की ट्रे में लगभग 20
किग्रा रसमरी मिठाई (चीनी, दूध व अरारोट से निर्मित) रखा हुआ पाया गया खाद्य
विश्लेषक भरतपुर की जांच रिपोर्ट एलएस/1198/एक्ट/2025/1918 दिनांक
31.10.2025 द्वारा उक्त रसमरी मिठाई (चीनी, दूध व अरारोट से निर्मित) का नमूना
अवमानक खाद्य पदार्थ स्तर (Substandard Food) प्रकृति का पाया गया है। दौराने
सुनवाई गैरसायल के द्वारा भविष्य में इस प्रकार की अनियमितता की पुनरावृत्ति नहीं
करने एवं सावधानी पूर्वक फूड प्रोडक्ट का विक्रय करना स्वीकार किया है। गैरसायल
की प्रथम गलती होने के कारण भविष्य में इस प्रकार की अनियमितता की पुनरावृत्ति
नहीं किये जाने की चेतावनी गैरसायल को दी जाती है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र
स्वीकार किया जाता है, उक्त अधिनियम की धारा 51 के तहत गैरसायल के द्वारा की
गई अनियमितता के आधार पर 20,000/-रुपये (बीस हजार रुपये) के अर्थदण्ड से
दण्डित किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद पूर्ति दाखिल दफ्तर की
जावे।

निर्णय आज दिनांक 27.03.2026 को सरे इजलास सुनाया गया।

५
(धनश्याम शर्मा)
न्याय निर्णयन अधिकारी
एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर
भरतपुर (राज.)